न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :11 /2025(जी.सी.एम.एस. 2025/ 13)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जगिन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 3 आर तहसील श्री करणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:–17.01.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय–– दिनांक :20.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 27/26 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 27/26 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि कुल 1.012 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 477 दिनांक 05.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 3 आर की जमाबंदी संवत 2073 ता 2076 खाता संख्या 27 के मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 11 की 0.253 नहरी, 12 की 0.253 नहरी ,13/1 की 0.126 नहरी, किला नम्बर 19 ता 22 (सालम बारानी) कुल 1.581 है0 नहरी/बारानी भूमि जगिन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज है। मुताबिक सीसीए रिकार्ड चक 3 आर के मुरब्बा नम्बर 40 के 25 बीघा मूल रुप से कमाण्ड है। अतः चक 3 आर की जमाबंदी संवत 2073-76 खाता संख्या 27 में मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 19 ता 22 की 1.012 हैक्टेयर बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा । राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आंवटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि के संवध में मु0न0 40 का किला नम्बर 19 ता 22 की 1.012 हैक्टेयर बारानी की अन्तरराशि 1225 गुणा 4 =4900 जमा करवाये जाने है एंव ब्याज में राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प3(23)उप/2020-1 दिनांक 30.09.2024 अनुसार दिनांक 31.12.2024 तक शत प्रतिशत छुट है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू. अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 27/26 की प्रति, चक 3 आर के सीसीए चक प्लान की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 3 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 27/26 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि कुल 1.012 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

के अनुसार चक 3 आर की जमाबंदी संवत 2073 ता 2076 खाता संख्या 27 के मुरब्बा नम्बर 40 का किला नम्बर 11 की 0.253 नहरी, 12 की 0.253 नहरी ,13/1 की 0.126 नहरी, किला नम्बर 19 ता 22 (सालम बारानी) कुल 1.581 है0 नहरी/बारानी भूमि जगिन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज है। मुताबिक सीसीए रिकार्ड चक 3 आर के मुरब्बा नम्बर 40 के 25 बीघा मूल रुप से कमाण्ड है। अतः चक 3 आर की जमाबंदी संवत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 27 में मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 19 ता 22 की 1.012 हैक्टेयर बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आंवटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि के संबध में मु0न0 40 का किला नम्बर 19 ता 22 की 1.012 हैक्टेयर बारानी की अन्तरराशि 1225 गुणा 4 =4900 जमा करवाये जाने है एंव ब्याज में राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प3(23)उप/2020-1 दिनांक 30.09.2024 अनुसार दिनांक 31.12.2024 तक शत प्रतिशत छुट है। अतः प्रार्थना पत्र, वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 27/26 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि कुल 1.012 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॅार्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजुलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगिन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर **11/2025**
निर्णय दिनांक :-20.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 27/26 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि कुल 1.012 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 20.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**02**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

क्रमांकः रीडर/2025/38 दिनांकः 20.01.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते